IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com

हज्ज के भेद और उसके मक़ासेद

संकलन
ख़ालिद बिन सालिह अस्सलामा

Hindi
الهندية
हिंदी

अनुवादः ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह
सम्पादनाः अबू असअ़द कुतुब मुहम्मद अल्असरी

من مقاصد الحج

تأليف
خالد بن صالح السلامة

ترجمه
ذاكر حسين وراثة الله

مراجعة
أبو أسعد قطب محمدالأثري

Hindi
الهندية
हिंदी

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

من مقاصد الحج. اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٠هـ

٧٢ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٤-٢٨-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨

١- الحج ٢- الحج - مناسك أ. العنوان

ديوي ٢٥٢,٥ **١٤٤٠/١١٤٥٦**

رقم الايداع: ١٤٤٠/١١٤٥٦

ردمك : ٤-٢٨-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨

This book has been conceived, prepared and designed by the Osool International Centre. All photos used in the book belong to the Osool Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osool Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osool Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो
बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम
करने वाला (दयालु) है

भूमिका	9
इतमामे हज्ज (हज्ज को पुरा करना)	13
पहला मक़सदः अल्लाह तआ़ला के लिए महब्बत को साबित करना	23
सवालः क्या सहीह मसदरों तथा हवालों (क़ाबिले हुज्जत और दलील की किताबों) में साबित है कि नबी ﷺ के मुबारक पैरों ने या आपके पाकीज़ा जिस्म ने अ़रफ़ा की ज़मीन को छूया है?	27
सवालः हज्जतुल वदाअ़ में रसूल ﷺ के मुबारक क़दमों ने अ़रफ़ा की सरज़मीन को क्यों नहीं स्पर्श किया?	29
सवालः मक्का मुकर्रमा एक बे आब व गियाह वादी (बंजर और अनावाद भूमी) में क्यों वाक़े है?	35
दूसरा मक़सदः अल्लाह तआ़ला ही के लिए अ़ज़मत व बड़ाई और इ़ज़्ज़त व हुरमत को साबित करना	37
तीसरा मक़सदः अल्लाह तआ़ला के लिए 'रजा' को साबित करना (यानी सिर्फ़ उसी से आशा और उम्मीद रखना)	41
चौथा मक़सदः अल्लाह तआ़ला से ख़ौफ़ खाने (डरने) को साबित करना	43
पाँचवाँ मक़सदः अल्लाह तआ़ला पर तवक्कुल (निर्भर और भरोसा) करना।	49
छठा मक़सदः अल्लाह की तरफ़ इनाबत और रुजू करने (लौटने) को साबित करना	53
सातवाँ मक़सदः अल्लाह तआ़ला के लिए इख़बात (तवाज़ो व इंकिसारी तथा विनय नम्रता) को साबित करना	55
मक्का मुकर्रमा की ख़ुसूसीयतें (विशेषतायें)	59
ख़ातिमा (उपसंहार) फिर हज्ज के बाद क्या?	65

भूमिका

सारी तारीफ़ें अल्लाह तआ़ला के लिए हैं जिस ने अपने वलीयों (ईमानदार और परहेज़गार बंदों) को फ़ायदामंद इल्म और नेक अ़मल के ज़रीया इ़ज़्ज़त बख़्शी। और उनके इल्म का फल तथा नतीजा यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इसको उस से डरने और उसकी तरफ़ रुजू करने का वसीला बनाया। अल्लाह तआ़ला ने इस इल्म के सबब बाज़ क़ौम को इतना बुलंद किया कि उन्हें लोगों में सब से ऊँचा मक़ाम अ़ता फ़रमाया। और इसके ज़रीया बहुत से दिलों को भर दिया तो वे इससे महब्बत करने लगे तथा उसके हुसूल के शैदाई (पाने के आसक्त) बन गये। और इसे बहुत से आज़ा व जवारेह (अंग प्रत्यंग) का ऐसा मशग़ला (व्यापार) बना दिया जिसकी ख़िदमत में वे सरतापा (बिल्कुल) लगे हैं।

दुरूद व सलाम (रहमत व शांति) नाज़िल हो ख़ैरुल बशर (श्रेष्ठतम इंसान) पर जो अपने रब को पहचान कर सिर्फ़ उसी के ज़िक्र में मशगूल रहे और उसी के लिए अपनी बंदगी, अपनी नमाज़, अपनी सारी इबादत, अपने मरने और जीने सब को ख़ालिस कर लिये। यहाँ तक कि आपको आपके रब ने चुन लिया और महबूब बना लिया। पस वह आप से राज़ी हो गया और आपके बारे में अपने मख़लूक़ में से नेकों (सत्कर्मीयों) को ख़ुश कर दिया।

ऐ हमारे रब! बेशक तमामतर इल्म (समस्त ज्ञान) तेरे हाथों में है। अतः तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा इल्म की हमें तौफ़ीक़ दे और उसके ज़रीया तेरे पास हमारा मक़ाम बुलंद फ़रमा।

ऐ अल्लाह! इस इल्म के द्वारा हमारे आमाल बढ़ा दे, उसके ज़रीया हमारे गुनाहों को बख़्श दे, उसके माध्यम से हमारे सीने खोल दे और उसे तेरी रिज़ा (संतुष्टि) के लिए ख़ालिस बना दे।

ऐ अल्लाह! हम तुझ से अपनी संकल्पों, कथनों और कर्मों (नीयतों, अक़्वाल और अफ़्आल) में उस चीज़ की तौफ़ीक़ तथा शक्ति की भीक मांगते हैं जो तेरे नज़दीक प्यारी हो और जिससे तू ख़ुश हो जाये।

अम्मा बाद (तत्पश्चात): प्रिय मुस्लिम ब्रादर ---! प्यारे हाजी भाई ---!

क्या ख़ूब मक़ाम है रब्बुल आ़लमीन (सर्वलोक के स्वामी) के सामने अपने आपको टेक देने और सौंप देने का, जो कि मुमिनों की अ़लामत है। पस अगर बंदे के लिए सुपुर्दगी के मक़ाम के साथ इल्म के मक़ाम का इज़ाफ़ा हो जाये तो रब्बुल आ़लमीन से उसका क़ुर्ब (निकटता) बढ़ जाता है। अतः ऐ हमारे रब! ऐ वदूद! ऐ अल्लाह! हमें सुपुर्दगी, इल्म और नेक अ़मल में बढ़ा दे और हम से क़बूल फ़रमा ले, बेशक तू ग़नी और करीम (बेनियाज़ और उदार) है।

मेरे प्यारे हाजी भाई! अच्छी बात है कि आप हज्ज के आमाल अदा करें अगरचे आपको मालूम नहीं कि आप यह आमाल क्यों कर रहे हैं। आपकी इतनी जानकारी काफ़ी है कि यह अल्लाह तआ़ला की इबादत है, और यह रब्बुल आ़लमीन के सामने अपने आपको सुपुर्द करने और उसकी बंदगी करने का तक़ाज़ा भी है।

मगर इस पर चार चाँद लग जायेगा जब आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ करेंगे कि वह आपके इल्म में इज़ाफ़ा करे, फिर वह आपकी सुन ले और आपके सीने को ऐसा खोल दे कि आप हज्ज के बाज़ आमाल की हिक्मत (भेद) से वाक़िफ़ हो सकें। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

''और जो लोग हमारी राह में मशक़्क़तें बरदाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे, बेशक अल्लाह नेकोकारों (सदाचारियों) के साथ है।'' {सूरतल अ़न्कबूतः 69}

कितनी अच्छी बात होगी अगर हम जान लें कि मक्का मुकर्रमा बे आब व गियाह वादी (बंजर और ग़ैर आबाद भूमी) की बजाये आबाद वादी, खेती के क़ाबिल ज़मीन तथा नदी विशिष्ट भूमी में क्यों वाक़े नहीं है, ताकि अल्लाह के हाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़मीन में हज्ज व उ़म्रा करने वाले महज़ूज़ (हर्षित) हूँ।

और नबी ﷺ की ख़ुसूसीयत में से क्यों है कि हज्जतुल वदाअ़ (विदाई हज्ज) में आपके मुबारक क़दम और पवित्र जिस्म ने अ़रफ़ा की ज़मीन को स्पर्श नहीं किया।

और सख़्त भीड़ की हालत में मताफ़ (तवाफ़ स्थल) में और जमरात में खड़ी दीवार के पास मर्द और औ़रतों का समागम (इख़्तिलात) क्यों होता है? हालाँकि अल्लाह तआ़ला उन से इस तंगी को दूर करके उसे कुशादा करने पर क़ादिर है। नीज़ (इसी तरह) दूसरी इबादतों में हिकमतों वाली शरीअ़त (दीने इस्लाम) का यह मिज़ाज भी है।

और अ़रफ़ा से लौटते हुये मुज़दलिफ़ा में ही क्यों रात गुज़ारना ज़रूरी है? जबकि मिना हम से क़रीब है और हमारे बिछौने तथा सामान वग़ैरा वहीं होते हैं।

हज्ज और उ़म्रा के आमाल में इनके अ़लावा अ़ज़ीम हिक्मतें पिनहाँ (पोशीदा) हैं। अतः हम शक नहीं करते कि हज्ज के तमाम आमाल सरापा (बिल्कुल) अ़ज़ीम हिक्मतों और बारीक मक़ासेद व भेदों से पुर

हैं, जिनका इल्म किसी को हुआ और किसी को नहीं हुआ।

और मैं ने इस पुस्तिका में अल्लाह तआ़ला से मदद तलब करते हुये इन मक़ासेद और भेदों से बंदों को वाक़िफ़ कराने और उन्हें उनके जेह्न व दिमाग़ में बसाने की कोशिश की है। मुमकिन है कि हमारा रब हमें बख़्श दे, हम पर रहम फ़रमाये और हमें सीधी तथा सच्ची राह की हिदायत दे।

वाज़ेह रहे कि मैं ने इस पुस्तिका में फ़िक़्ही अह्काम बयान करने का इहतिमाम नहीं किया है। क्योंकि इनका मक़ाम (स्थान) और है जिन्हें उलमा ने अह्काम की किताबों में नक़्ल फ़रमाया है। इस पुस्तिका में मेरे क़लम का मेहवर (दायरा) बाज़ वह मक़ासेद और भेद हैं जिन से बहुत से हाजी लोग बल्कि हज्ज के विषय में लिखने वाले बहुत से लेखक ग़ाफ़िल होते हैं। लिहाज़ा मैं ने नबी ﷺ के इस फ़रमान पर अ़मल करते हुये क़लम उठायाः

«**رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ**». [رواه أبو داود برقم (٣٦٦٠) وصححه الألباني].

''बहुत से इल्म व फ़िक़्ह् के हामिल (अधिकारी) अपने से बढ़ कर ज़्यादा जानकार और फ़क़ीह लोगों को पहूँचाते हैं।'' {इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, हदीस नम्बरः 3660, और अल्लामा अलबानी ने इसे सहीह क़रार दिया है}

नीज़ मैं अपने अ़लावा दूसरे उ़लमा को बड़े पैमाने पर और मज़ीद वाज़ेह और शामिल व कामिल अंदाज़ में इन असरार व रुमूज़ और मक़ासेद व भेद के निकालने पर उभार रहा हूँ। चुनांचि इन में से जो सहीह और दुरुस्त है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ से है, और जो ग़लत है वह मेरी और शैतान की तरफ़ से है।

इतमामे हज्ज (हज्ज को पुरा करना)

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

''हज्ज और उ़म्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो।'' {सूरतुल बक़राः 196}

इतमामे हज्ज (हज्ज को पूरा करना) तीन क़िस्मों पर मुनहसिर (निर्भरित) हैः

1. मुक़र्ररा वक़्त (निर्धारित समय) में हज्ज पूरा करना।
2. मुक़र्ररा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करना।
3. मशरूअ़ तरीक़े (शरीअ़त सम्मत नियमों) पर हज्ज पूरा करना।

अब आइये मज़कूरा क़िस्मों की तफ़्सील बयान करते हुये कह रहे हैंः

पहली क़िस्मः

मुक़र्ररा वक़्त (निर्धारित समय) में हज्ज पूरा करनाः इसका मतलब यह है कि आगे पीछे किये बग़ैर उसी वक़्त में हज्ज अदा करना जिसे अल्लाह तआ़ला ने मुक़र्रर फ़रमा दिया है।

हज्ज में हर इबादत के लिए वक़्त मुक़र्रर किया गया है। और इस ताईन के अग़राज़ व मक़ासेद (भेद) हैं जो मुक़र्ररा वक़्त के अ़लावा में पूरे नहीं हो सकते हैं। अतः जिस ने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मुक़र्रर कर्दा वक़्त में अदा करने से सुस्ती किया उस ने इन मक़ासिद

को पाये तक्मील तक पहूँचाने में कसर उठाई (भेदों को पूरा करने में कमी की)। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ﴾ [البقرة: ١٩٧]

''हज्ज के महीने मुक़र्रर हैं।'' {सूरतुल बक़राः १९७} और दूसरी जगह फ़रमायाः

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

''और अल्लाह की याद इन गिनती के चंद दिनों (यानी अय्यामे तशरीक़ अर्थात ११, १२ और १३ ज़ुलहिज्जा) में करो।'' {सूरतुल बक़राः 203}

इसी लिए हम मिसाल के तौर पर कहते हैंः जिस ने जल्दबाज़ी करते हुये मुज़दलिफ़ा में रात नहीं गुज़ारी या आधी रात से पहले वहाँ से निकल गया, इसी तरह जिस ने 12 ज़ुल्हिज्जा को सूरज ढलने से पहले ही कंकरी मार ली, तो उसने हज्ज के मक़ासिद की मुख़ालफ़त और उसके भेदों की विरोधिता की या उसके अग़राज़ व मक़ासिद को मुकम्मल नहीं किया।

दूसरी क़िस्मः

मुक़र्ररा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करनाः अर्थात हज्ज में जो इबादतें मशरूअ़ हैं उन्हें उन्ही मक़ामात में अदा की जायें अल्लाह तआ़ला ने जहाँ करने का हुक्म दिया है। क्योंकि हर जगह के लिए ऐसे मक़ासिद रखे गये हैं जो वहाँ के अ़लावा कहीं और पूरे नहीं हो सकते हैं। अतः जिस ने किसी इबादत की जगह के बारे में सुस्ती बरती, तो उस ने इस इबादत के मक़ासिद की तकमील (भेदों को पूरा करने) में कमी की।

मिसाल के तौर पर (उदाहरण स्वरूप): अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया कि हम हुदूदे अ़रफ़ा में (अ़रफ़ा सीमा के अंदर) ठहरें, पस उसके हुदूद से तजावुज़ (उन्हें पार) न करें। इसी तरह अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया कि हम पूरी रात या उसका अकसर हिस्सा मुज़दलिफ़ा में गुज़ारें, चुनांचि हमें चाहिये कि हम मुज़दलिफ़ा की रात उसके हुदूद से न निकलें। नीज़ अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया है कि हम मिना की रातें मिना ही में गुज़ारें, अतः बिना किसी मजबूरी के -जैसाकि आजकल भीड़ की वजह से होता है- उसके हुदूद से न निकलें। यह है मुक़र्ररा मकान (निर्धारित स्थान) में हज्ज पूरा करना।

हाजीयों की घटती बढ़ती तादाद के सबब ज़मान और मकान (समय और स्थान) के ऐतेबार से बाज़ इबादतों -जैसे जमरात में कंकरी मारना, तवाफ़ करना और हजरे असवद को बोसा देना- की अदायेगी में दिक़्क़त पेश आती है।

क्योंकि उसके वक़्त में इतनी उसअ़त नहीं रखी गई कि महीनों या हफ़्तों बाद जब भीड़ कम हो जाये तो उसे अदा करे। इसी तरह उसकी जगहें इतना कुशादा या ज़्यादा नहीं है जो ज़माने भर हाजीयों की तादाद के मुताबिक़ (अनुसार) हो। और ऐसी बात भी नहीं कि उसका करना औ़रतों के अ़लावा सिर्फ़ मर्दों पर फ़र्ज़ है, जिस के सबब अ़दद में कमी आ जाये। नीज़ यह बात भी नहीं कि यह हुक्म मुस्तहब है, बल्कि जगह और वक़्त की तंगी के बावजूद मर्द व औ़रत तमाम हाजीयों पर -चाहे मर्द हुँ या औ़रत सब पर- करना लाज़िम है।

अल्लाह तआ़ला अ़लीम और हकीम (बड़े इल्म और हिक्मत वाला) है, उस से मख़फ़ी (पोशीदा) नहीं कि (एक ही वक़्त और एक ही जगह

में) इन अहकाम की अदायेगी में कितनी भीड़ और इख़्तिलात का सामना हो सकता है। और यह सब कुछ उन अ़ज़ीम हिक्मतों के तहत हैं जिन्हें हिक्मत वाले और ख़बर रखने वाले अल्लाह ने चाहा है।

तीसरी क़िस्मः

मशरूअ़ (शरीअ़त सम्मत) तरीक़े पर हज्ज पूरा करना। और इस में मुंदरजा ज़ैल (निम्नोक्त) तीन अहम बातों का ख़्याल (पहलूओं पर ध्यान) रखा जायेः

पहली बातः हज्ज के मक़ासेद और उसके भेद।

दूसरी बातः हज्ज के फ़िक़्ही अहकाम।

तीसरा बातः हज्ज में मसालिहि मुरसला (वह आमाल जो आ़म जनता की भलाई के लिए किये जायें, मगर उनके मोतबर होने या बातिल होने पर कोई शरई दलील न हो)।

मज़कूरा बातों की वज़ाहत करते हुये कहते हैंः

पहली बातः हज्ज के मक़ासिद और उसके भेद। तफ़्सील के साथ इसका बयान (इसका सविस्तार विवरण) आगे आयेगा इनशा अल्लाह।

दूसरी बातः फ़िक़्ही अहकाम जैसे वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह और हराम। उ़लमा ने इन अहकाम के सिलसिले में तफ़्सीली तौर पर गुफ़्तगू की है। नीज़ इनके बारे में लोगों के बकसरत सवालात होते रहते हैं। इस लिए यहाँ उनकी तफ़्सील की ज़रूरत नहीं समझते हैं।

तीसरी बातः मसालिहि मुरसला जो हज्ज के पूरा करने पर सहायता करते हैं, जैसेः ट्रेफिक रूल, साफ़ सफ़ाई का इंतिज़ाम, रिहाइश का बंदोबस्त और सफ़र के लवाज़िमात व ज़रूरियात वग़ैरा।

कभी कभी मज़कूरा बातों का विशेष ख़्याल न रखने की वजह से इस तरह के मसायेल (समस्यायों) का सामना होता है कि लोग (हुज्जाज) मुनासिब वक़्त में मतलूबा और मुक़र्ररा अमाकिन तक (उद्दिष्ट तथा निर्धारित स्थान पर) नहीं पहुँच पाते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि थक कर चूर हो जाने के सबब उनकी इबादतों में ख़लल यानी कमी रह जाती है।

अतः लोग अगर मसालिहि मुरसला का इहतिमाम करते हुये बाहम (परस्पर) एक दूसरे का हाथ बटायें तो बड़ी आसानी और सुहूलत के साथ इबादत की अदायेगी कर सकते हैं इन् शा अल्लाह।

अब सवाल यह है कि इन तीनों बातों के साथ अल्लाह तआ़ाला के इस हुक्म के मुताबिक़ किः

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

''हज्ज और उ़म्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो।'' {सूरतुल बक़राः 196} हज्ज और उ़म्रा की तकमील कैसे कर सकते हैं?

तो इसका जवाब देते हुये कहते हैं:

मज़कूरा (उक्त) तीनों बातों की जानकारी लेने तथा उनकी हक़ीक़त और गहराई तक पहुँचने के लिए कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह तआ़ाला ने हम से वादा किया है कि अगर हम जिद्द व जहद (कोशिश और मेहनत) करें तो वह हमें अपनी प्यारी और पसंदीदा चीज़ की तरफ़ रहनुमाई फ़रमायेगा। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

''और जो लोग हमारी राह में मशक़्क़तें बरदाश्त करते हैं हम उन्हें

अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे, बेशक अल्लाह नेकोकारों (सदाचारियों) के साथ है।" {सूरतुल अ़न्कबूतः 69}

और अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करना कि वह हमें इन मक़ासेद को समझने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ उन्हें पूरा करने की तौफ़ीक़ दे, और

﴿رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾ [طه: ١١٤]

"ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा।" {सूरतु ताहाः 114}

जिद्द व जहद तथा इजतिहाद के अंतर्गत (ज़िम्न में) है।

इसी तरह दोनों वह्य यानी कुरआन और हदीस के नुसूस (इबारतों) में ग़ौर व ख़ौज़ (चिंता भावना तथा गवेषणा) करना जिद्द व जहद के जुमरे में है।

नीज़ उ़लमा से उनके बारे में सवाल करना, असरार व मक़ासेद पर मुश्तमिल (संबंधी) किताबें पढ़ना और इल्म की मजलिसों में हाज़िर होना भी जिद्द व जहद में शामिल है।

2 मुकम्मल तौर पर उन्हें बरूये कार लाने (वास्तव रूप देने) के लिए कोशिश करें। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ [الزمر: ٥٥]

"और उस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल की गई है।" {सूरतुज़्ज़ुमरः 55}

और यह हुक्म हर इबादत में है। लिहाज़ा हमें चाहिये कि नफ़्स की ताबेदारी करते हुये उसकी अदायेगी में कोई कमी और कसर न छोड़ें, राहत तलब (आलस्य प्रिय) न बनें और काहिली व सुस्ती के शिकार

न हों। क्योंकि दुनिया अ़मल का घर तथा गुज़रगाह है, और जन्नत बदले का घर तथा ठहरने की जगह है।

और यह सब कुछ अल्लाह तआ़ला की तौफ़ीक़ के बग़ैर नामुमकिन है, इस लिए हमें चाहिये कि हम उस से इलहाह के साथ (गिड़गिड़ा कर) उसकी प्यारी और पसंदीदा चीज़ों के अंजाम देने की तौफ़ीक का मुतालबा (कामना) करें।

किसी शरई उ़ज़्र -जैसे नादानी और भूल वग़ैरा- के कारण पूरे तौर पर जिन चीज़ों के अदा करने से क़ासिर (असमर्थ) रहें, तो हम उन पर ग़मगीन (दुःखित) होकर अल्लाह तआ़ला से बकसरत मग़फ़िरत तलब करें और क़बूल कर लेने की दरख़ास्त करें। शायद वह अपने रहम व करम, जूद व सख़ा (उदारता) और इहसान व मेहेरबानी से हमारी कमीयों को जब्र (पूरी) करके मुकम्मल बदले से नवाज़ दे। चुनांचि हम हज्ज से इस हाल में लौटें कि हम अ़मल के क़बूल होने तथा उसके पूरा होने की उम्मीद के दरमियान और उसके रद हो जाने या पूरा न होने के ख़ौफ़ के दरमियान रहें।

अब हम 'मशरूअ़ तरीक़े पर हज्ज पूरा करने' की पहली बात (पहलू) 'हज्ज के मक़ासिद और उसके भेद' तफ़्सील से बयान कर रहे हैं:

हज्ज के मक़ासेद का मतलबः वह अ़ज़ीम फ़ायदे और हिक्मतें जिनके सबब हज्ज के आमाल मशरूअ़ किये गये हैं।

हज्ज का सबसे बड़ा मक़सदः अल्लाह तआ़ला के निम्नोक्त हुक्म को बजा ला कर उसी के लिए अपनी बंदगी को साबित करना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]

''अल्लाह ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हूँ उस घर का हज्ज फ़र्ज़ कर दिया है।'' {सूरतु आलि इमरानः 97}

और हज्ज का सबसे बड़ा मक़सद यानी 'अल्लाह तआ़ला के लिए बंदगी को साबित करना' उस वक़्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसको वजूद में लाने वाले दीगर अ़ज़ीम मक़ासेद -जैसेः अल्लाह तआ़ला से महब्बत करना, उसकी ताज़ीम करना, उसी से उम्मीद करना, उसी से डरना, उसी पर तवक्कुल और भरोसा करना और उसी की तरफ़ रुजू करना- न पूरे हूँ।

और यह हैं वह बाज़ मक़ासेद जिनके कारण हज्ज के आमाल मशरूअ़ किये गये हैं। और लोगों के लिए उनका सीखना, समझना, हासिल करना और उनकी हक़ीक़त तक पहुँचने के लिए जिद्द व जहद करना मशरूअ़ किया गया है। और लोग इस विषय में एक दर्जे के नहीं हैं।

हाजी पर इन तमाम मक़ासेद की तफ़्सील का इहाता करना (जानना) ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक वह कर ले जाये उतनी मिक़दार वह अज्र व सवाब और अल्लाह तआ़ला के हाँ मक़ाम व मरतबा का हक़दार होगा।

और यही वजह है कि अज्र व सवाब में हाजीयों का मक़ाम एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ होता है। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴾ [الزمر: ٩]

''बताओ तो इल्म वाले और बे इल्म क्या बराबर हैं? यक़ीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अ़क़्लमंद हूँ।'' {सूरतुज़्ज़ुमरः 9}

अब हम मतानत व संजीदगी के साथ उस सफ़र को तै करना चाहते हैं जिस में हज्ज के मक़ासेद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुये उन में ग़ौर व फ़िक्र करेंगे। मुमकिन है कि अल्लाह तआ़ला उनके ज़रीया हमें

ईमान व सुपुर्दगी और नेक अ़मल में बढ़ा दे। और हम अल्लाह तअ़ला से इ़ख़लास का सवाल करते हैं। नीज़ उस चीज़ की तौफ़ीक़ चाहते हैं जो उसके नज़दीक महबूब और पसंदीदा है। और दुआ़ करते हैं:

﴿رَبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾ [طه: ١١٤]

''ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ा।'' {सूरतु ताहाः 114}

इस से पहले यह बात गुज़र चुकी है कि हज्ज का सबसे बड़ा मक़सद 'अल्लाह तआ़ला के लिए बंदगी को साबित करना' है, और इस मक़सद को वजूद में लाने के लिए चंद और अ़ज़ीम मक़ासेद हैं, जिन में से हर एक हज्ज के मक़ासेद में से एक मक़सद है। पस क्या हैं यह मक़ासेद?

बल्कि यहाँ एक और अहम सवाल है, और वह यह कि हज्ज के आमाल के ज़रीया यह मक़ासिद कैसे साबित हो सकते हैं? अल्लाह तआ़ला से मदद चाहते हुये इसी बात को अगले सुतूर में बयान करने की कोशिश करेंगे इन् शा अल्लाह।

❁ ❁ ❁

पहला मक़सद
अल्लाह तआ़ला के लिए महब्बत को साबित करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]

''आप कह दीजिये कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवीयाँ, तुम्हारे कुंबे क़बीले (वंश), और तुम्हारे कमाये हुये माल, और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वह हवेलीयाँ (आवास) जिन्हें तुम पसंद करते हो, (अगर यह सारी चीज़ें) तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अ़ज़ीज़ (प्रियवर) हैं, तो तुम अल्लाह के हुक्म (से अ़ज़ाब के आने) का इंतिज़ार करो। और अल्लाह तआ़ला फ़ासिक़ों (पापाचारीयों) को हिदायत नहीं देता।'' {सूरतुत्तौबाः 24}

ग़ौर करें कि आप हज्ज अदा नहीं कर सकते यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी के हर महबूब और प्यारी चीज़ों को छोड़ दें। पस आपको हज्ज हासिल नहीं होगा यहाँ तक कि आप अपने उस वतन को छोड़ें जिस से आप महब्बत करते हैं और जिसकी तरफ़ अपने आपको मन्सूब करते हैं, नीज़ अपनी हमदर्द व ग़मख़ार बीवी, अपने लख़्ते जिगर बच्चों, अपना घरबार, वह बस्ती जिस में आप पले बढ़े, मशग़ला (काम काज

और व्यापार), खेतीबाड़ी, गाड़ी घोड़ा और उस कुंबा क़बीला (जाति कुल) को भी छोड़ें जिसकी तरफ़ आप अपने की निस्बत करते हैं।

इन तमाम महबूब और प्यारी चीज़ों को आप इस हाल में छोड़ कर जाते हैं कि पता नहीं दोबारा उन तक वापस लौटेंगे या नहीं। इसी तरह जब आप इन प्रिय और चहेतों को विसर्जन दे कर (छोड़ कर) जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि (तफ़रीह और मनोरंजन के लिए) किसी आबाद वादी, हरे भरे जंगल, मोतदिल फ़ज़ा (संतुलित वातावरण) और कुशादा मकान की तरफ़ रवाना हो रहे हैं, बल्कि आप बे आब व गियाह वादी (बंजर और ग़ैर आबाद भूमी) की तरफ़ रवाना हो रहे हैं जहाँ सख़्त गरमी और कठिन भीड़ का सामना करना होगा।

अतः अगर आप वहाँ इस हाल में पहुँचते हैं कि आपके साथ कोई महबूब चीज़ हो, तो अल्लाह के लिए अ़ज़ीम महब्बत को ख़ालिस करते हुये और उसे उसी के लिए साबित करते हुये उसको (महबूब चीज़ को) परित्याग करें (छोड़ दें)।

पस अगर आपके साथ आपकी प्यारी बीवी, क़ीमती कपड़े और पाकीज़ा ख़ुशबू हूँ, तो यह सब कुछ आपके लिए सिर्फ़ इहराम से (हज्ज या उ़म्रा में दाख़िल होने की नियत कर लेने ही से) हराम हो जाते हैं।

बल्कि मक्का में और भी दूसरी अ़ज़ीम प्यारी और महबूब चीज़ें हैं, जैसेः मस्जिदे हराम, काबा शरीफ़, हजरे अस्वद, मक़ामे इबराहीम, ज़मज़म का कुँआ और ख़ुद हरम की सरज़मीन।

शायद यहाँ -अल्लाह बेहतर जानता है- बंदे का इमतिहान लेना और उसकी आज़माइश करना मक़ासेद में से एक मक़सद है। और वह इस तरह से कि अगर हाजी के नज़दीक मज़कूरा तमाम महबूब चीज़ों से

बढ़ कर सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह तआ़ला है, तो इन तमाम चीज़ों को विसर्जन दे कर और सरज़मीने हरम को छोड़ कर अल्लाह तआ़ला के आदेश और हुक्म की बजा आवरी (पालन) करते हुये हज्ज के सबसे अ़ज़ीम दिन में मैदाने अ़रफ़ा -जो कि हुदूदे हरम से बाहर है- की तरफ़ निकल जाये, जहाँ की ज़मीन हर महबूब से ख़ाली होती है, पस वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही महबूब होता है। और यह इस बात की दलील है कि उसके नज़दीक इन सारे महबूब से अधिक महबूब अल्लाह तआ़ला है, नीज़ यह क़ौली और अ़मली ऐतेबार से उसकी सच्चाई और अल्लाह तआ़ला से ख़ालिस महब्बत की पहचान है।

❁ ❁ ❁

सवालः क्या सहीह मसदरों तथा हवालों (क़ाबिले हुज्जत और दलील की किताबों) में साबित है कि नबी ﷺ के मुबारक पैरों ने या आपके पाकीज़ा जिस्म ने अ़रफ़ा की ज़मीन को छूया है?

तफ़्सील के साथ नबी ﷺ के हज्ज की कैफ़ियत बयान करने वाली बहुत सारी क़ाबिले हुज्जत किताबें मैं ने टटोल डाली, लेकिन मुझे कोई ऐसी वाज़िह दलील या क़रीना दस्तयाब (स्पष्ट प्रमाण तथा सियाक़ व सबाक़ प्राप्त) नहीं हुये जो यह बतायें कि नबी करीम ﷺ के जिस्मे शरीफ़ ने अ़रफ़ा की ज़मीन को छूया हो। बल्कि क़रीने यही बताते हैं कि आपके जिस्मे मुबारक का सरज़मीने अ़रफ़ा को न छूना ही मक़सूद (उद्देश) था, और यह कि यह हुक्मे तअ़ब्बुदी (ऐसा धर्मीय आदेश जिस में चूँ चिरा का कोई सवाल नहीं होता है) था, जो उम्मत के अ़लावा सिर्फ़ आप ﷺ के लिए ख़ास था।

उन क़रीनों में से एक यह है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल ﷺ को अ़रफ़ा की ओर रवानगी के दौरान चंद ऐसे हुक्म दिये जो ग़ौर तलब (सोचने के क़ाबिल) हैं।

अल्लाह सुबहानहु व तआ़ला ने अपने रसूल ﷺ को अ़रफ़ा की सीमा (हद) से कुछ मीटर पहले उ़रना नामक वादी में ठहरने का हुक्म दिया। पस आप अ़रफ़ा से बाहर ही खाये पीये, आराम फ़रमाये और वज़ू किये।

फिर जब सूरज ढल गया तो रसूल ﷺ ने अपने अस्हाब رضي الله عنهم को

अ़रफ़ा की सीमा के अंदर एक या दो मीटर दाख़िल होने का हुक्म दिया, लेकिन आप ख़ुद अ़रफ़ा की सीमा से एक या दो मीटर बाहर ही ठहरे। फिर आप ﷺ ने ख़ुत्बा दिया और उनको नमाज़ पढ़ाई इस हाल में कि आप ﷺ अ़रफ़ा की हद से बाहर और सहाबये किराम ﷺ अ़रफ़ा के अंदर थे।

फिर जब आप ﷺ अपने ख़ुत्बा और नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो अ़रफ़ा से बाहर ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुये, उसके बाद सवारी पर बैठ कर ही अ़रफ़ा के अंदर तशरीफ़ ले गये, और आप ﷺ सवारी से नहीं उतरे यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया, जैसाकि बहुत सारे नुसूस (इबारतें) इसकी वज़ाहत करते हैं। फिर आप ﷺ हज्जतुल वदाअ़ में अ़रफ़ा से निकल पड़े इस हाल में कि आपके मुबारक क़दमों ने हरगिज़ अ़रफ़ा की ज़मीन को नहीं छूया। और यह हुक्म अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आप ﷺ के लिए ख़ास था। अल्लाह तआ़ला ही सब से बेहतर जानता है।

❁ ❁ ❁

सवालः हज्जतुल वदाअ् में रसूल ﷺ के मुबारक क़दमों ने अ़रफ़ा की सरज़मीन को क्यों नहीं स्पर्श किया?

क़तई तौर पर (निश्चित रूप से) यह बात मालूम है कि रसूलुल्लाह ﷺ सारे मुमिनों के नज़दीक महबूब और प्यारे हैं। इसी तरह आप ﷺ के आसार (चिंह) भी महबूब हैं, बल्कि बहुत से लोग आप ﷺ के आसार की जुस्तजू (तलाश) में लगे रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआ़ला ने चाहा कि अपने अ़लावा मैदाने अ़रफ़ा में किसी भी महबूब का कोई भी असर न रहे, अगरचे रसूले अकरम ﷺ के आसार ही क्यों न हों।

शायद इस में -अल्लाह बेहतर जानता है- यह हिक्मत पिनहाँ (भेद छुपा हुआ) है कि अगर अ़रफ़ा में रसूलुल्लाह ﷺ का कोई असर होता तो मुमकिन था कि बाज़ लोग इस अ़ज़ीम दिन में अल्लाह तआ़ला की महब्बत से ग़ाफ़िल होकर आप ﷺ के आसार में मशग़ूल हो जाते और उनके दिल रब की महब्बत से बंदे की महब्बत की तरफ़ फिर जाते।

और ऐसा क्यों न हो!!! इस लिए कि हम जानते हैं कि बशरियत (मानवता) के गुमराह होने का सबसे बड़ा सबब नेक लोगों की महब्बत में और उनके आसार में ग़ुलू (अतिरंजन) करना है।

रूये ज़मीन (पृथ्वी) पर सब से पहला शिर्क जो नूह ﷺ के ज़माने में

वाक़े हुआ था क्या उसका सबब नेक लोगों की महब्बत में और उनके आसार में ग़ुलू करना नहीं था?!!

क्या नसारा लोगों के पथभ्रष्ट होने का कारण ईसा ﷺ की महब्बत में ग़ुलू करना नहीं था?!!

क्या राफ़िज़ी लोग अ़ली और हुसैन ﷺ की महब्बत में ग़ुलू करने के सबब गुमराह नहीं हुये?!!

क्या बाज़ सूफ़ीयों के गुमराह होने का कारण जीलानी वग़ैरा की महब्बत में ग़ुलू करना नहीं है?!!

इन्होंने उनसे अल्लाह तआ़ला की महब्बत के मुशाबिह (अनुरूप) महब्बत की जिसके सबब वह हलाक हो गये।

चुनांचि इसी तरह मैदाने अ़रफ़ा में हाजीयों से मतलूब (तलब किया गया) है कि उनके सामने किसी महबूब का कोई असर न रहे, ताकि उनके दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही में मगन रहे।

और हो सकता है कि इस में बंदे की अपने रब से महब्बत का परीक्षा (इमतिहान) भी हो। और वह इस तरह से कि उसके सामने उसके महबूब को ऐसे वक़्त में पेश किया जाये जब उसे उसकी सख़्त ज़रूरत हो, लेकिन अल्लाह तआ़ला इमतिहान और आज़माइश के तौर पर उसको उस से रोक दे और उस पर हराम कर दे, ताकि देख ले कि उसके नज़दीक अल्लाह तआ़ला ज़्यादा महबूब है या यह महबूब ज़्यादा महबूब है।

यह देखिये कि सहाबये किराम भूक और मुहताजी के ज़माने में हज्ज का इहराम बाँध रहे थे। और बस वह इहराम में दाख़िल हुये कि अल्लाह तआ़ला ने इमतिहान और आज़माइश के तौर पर शिकार को

-जिसकी चाहत थी- हुक्म दिया अचानक उनसे इतना क़रीब हो जाये कि बिल्कुल उनके हाथ में आ जाये और उनके नेज़ों का निशाना बन जाये। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾ [المائدة: ٩٤]

''ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला कुछ शिकार के ज़रीया तुम्हारा इमतिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि कौन शख़्स उस से बिन देखे डरता है, पस जो शख़्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके लिए दर्दनाक सज़ा है।'' {सूरतुल माइदाः 94}

सहाबये किराम ﷺ ने उस वक़्त क्या ख़ूब सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए महब्बत को साबित कर दिखाया जब उन्हों ने अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुये शिकार को छोड़ दिया, हालाँकि उनको इसकी सख़्त ज़रूरत थी, और अल्लाह के अ़लावा न कोई निगरानी करने वाला था और न कोई हिसाब लेने वाला।

तवाफ़ करते तथा जमरात को कंकरी मारते समय अल्लाह तआ़ला से महब्बत का इमतिहान और सख़्त हो जाता है, इस लिए कि हाजी साहब जब उन महबूब चीज़ों -जैसे बीवी, ख़ुशबू और शिकार- को जो अस्ल में हलाल हैं छोड़ देता है, तो इसके बाद उन महबूब चीज़ों में आज़माइश आती है जो अस्ल में हराम हैं। और वह है मर्दों का औ़रतों के साथ और औ़रतों का ग़ैर महरम मर्दों के साथ इख़्तिलात तथा संमिश्रण का इमतिहान।

जबकि यह मुमकिन था कि जमरात का बाज़ हिस्सा औ़रतों के लिए हो और बाज़ हिस्सा मर्दों के लिए, या तवाफ़ और जमरात की रमी एक दिन मर्दों के लिए हो और एक दिन औ़रतों के लिए, मर्दों के साथ धक्कम पेल के सबब औ़रतों को तवाफ़ और रमी से सुबुक दोश (माफ़) कर दिया जाता, या यह कि रमी एक छोटी दीवार के बजाय किसी बड़े पहाड़ की तरफ़ होती, ताकि लोग भीड़-भाड़ न करें।

लेकिन शरीअ़त ने -अल्लाह बेहतर जानता है- तवाफ़ और रमी के अहकाम को इसी मारूफ़ और मशहूर सूरत ही में अदा करने का हुक्म दिया। और कभी कभी भीड़ तंग जगह में औ़रतों को मर्दों से बिल्कुल क़रीब कर देती है, ताकि पूरे तौर पर इमतिहान और आज़माइश हो कि --- तुम्हारे नज़दीक अल्लाह सब से ज़्यादा महबूब है या औ़रतें?

अतः इस सख़्त भीड़ में जहाँ इंसान में से कोई मुराक़िब और निगराँ नहीं होता है, आप उस पक्के और सच्चे मुमिन को जिसका दिल अल्लाह तआ़ला की महब्बत में मगन है पायेंगे कि हत्तल इमकान (जहाँ तक हो सके) बचते, दूर रहते और परहेज़ करते हैं। और ऐसा सिर्फ़ इसी लिए होता है कि उसके नज़दीक अल्लाह के सिवा और कोई चीज़ महबूब तथा प्यारी नहीं है। ख़ुसूसन (विशेषतः) जब वह याद करता है कि इब्राहीम ﷺ को ख़लील बनने का मक़ाम व मरतबा उसी वक़्त मिला जब उनको जमरात के मकान में अपने लख़्ते जिगर इसमाईल ﷺ के बारे में आज़माइश में मुबतिला किया गया।

इब्राहीम ﷺ की आज़माइश की तफ़्सीलः आपकी पहली आज़माइश यह थी कि आप कई सालों तक निःसंतान (औलाद से महरूम) रहे।

फिर जब औलाद से नवाज़े गये तो यह आज़माइश आई कि बच्चे को उसकी माँ समेत बे आब व गियाह वादी में छोड़ कर शाम कूच कर जायें। फिर आप पर आज़माइश सख़्त की जाती है और आपको उनके पास वापस आने का हुक्म दिया जाता है। फिर जब आपका दिल अपने एकलौता बेटे से मिल कर बाग़ बाग़ होता है, तो उसे ज़बह करने का हुक्म सादिर होता है। पस आप इन जमरात के मकान के पास रब के हुक्म को नाफ़िज़ करने (बजा लाने) के लिए आते हैं। उस वक़्त शैतान आपके पास वसवसा देते हुये तीन मरतबा आता है, ताकि आपको आपके रब का हुक्म नाफ़िज़ करने से फेर दे। मगर उसको इब्राहीम ﷺ से नहीं मिला मगर निहाई (अंतिम) जवाब यानी संगसार और पत्थर से धुतकार, और ज़ुबान पे बार बारः अल्लाह हर महबूब से बड़ा है --- अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर अर्थात अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।

❁ ❁ ❁

सवालः मक्का मुकर्रमा एक बे आब व गियाह वादी (बंजर और अनावाद भूमी) में क्यों वाक़े है?

अगर हज्ज किसी आबाद, खेती के क़ाबिल, हरी भरी और नदी नाले वाली वादी और भूमी की तरफ़ होता, तो मुमकिन था -अल्लाह बेहतर जानता है- कि बाज़ हाजीयों की नीयतों में मिलावट हो जाती कि क्या उन्हों ने हज्ज से ख़ालिस इबादत की नीयत की है? या नदी नाले और हरी भरी वादी में तफ़रीह और मनोरंजन की नीयत की है?

यहाँ एक दूसरी हिक्मत भी है -अल्लाह बेहतर जानता है- कि अगर मक्का की निम्नोक्त दो गुण एकट्ठे हो जाते (ज़ैल की दो ख़ासियतें जमा हो जातीं):
पहला गुणः उसकी तरफ़ दिलों का मायेल होना।

दूसरा गुणः उसका हरी भरी वादी और नदी नाले वाला होना।

तो मुमकिन था वहाँ लोगों का ढेर और जमघटा हो जाता और दूसरों के लिए कोई मजाल या गुंजाइश ही न छोड़ते (अवकाश ही न रखते)।

लेकिन अल्लाह तआ़ला की रहमत है कि दिल उसकी तरफ़ मायेल होते हैं, फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे बंजर और ग़ैर आबाद वादी पाते हैं जो मशक़्क़त और परेशानी से ख़ाली नहीं है, तो अपनी इबादतें पूरी करके चल देते हैं और दूसरों के लिए मजाल छोड़ देते हैं।

सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के लिए महब्बत को साबित करने के विषय में आख़िरी बात यह है किः

अल्लाह तआ़ाला क़बूल नहीं फ़रमाता है कि बंदे के दिल में पाई जाने वाली उसकी महब्बत किसी और महबूब की महब्बत के बराबर हो, चे जाये कि मख़लूक़ की महब्बत उसकी महब्बत से ज़्यादा हो।

--- यह है तौहीदे महब्बत यानी सिर्फ़ अल्लाह ही से महब्बत करना --- अतः अगर आप इस अ़ज़ीम मक़सद को पा लिए, तो इस मक़सद को बरूये कार लाने (वास्तव रूप देने), उसके लवाज़िमात (असबाब व वसाइल) को पूरा करने और उसके मवानेअ़ (प्रतिबंधकों) को दूर करने के लिए हज्ज में आपको बकसरत (अधिकाधिक) दुआ़ करनी चाहिये। पस अगर आपकी सुन ली गई तो आपके लिए मुबारकबादी है।

❁ ❁ ❁

दूसरा मक़सदः अल्लाह तआ़ला ही के लिए अ़ज़मत व बड़ाई और इ़ज़्ज़त व हुरमत को साबित करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢]

''जो अल्लाह की निशानीयों (प्रतीकों) की इ़ज़्ज़त व हुरमत करे तो हक़ीक़त में यह दिलों की परहेज़गारी में से है।'' {सूरतुल हज्जः 32}

शआ़इर और मशआ़र (निशानीयाँ और प्रतीक) का अर्थः हर वह चीज़ जो अल्लाह तआ़ला की अ़ज़मत व बड़ाई और उसकी बेनियाज़ी तथा मख़लूक़ की ज़िल्लत व ख़ारी (हीनता और नीचता) और उसकी फ़क़ीरी व मुहताजी की निशानदिही करे (बतलाये)।

और यह नुक्ता सरज़मीने मुज़दलिफ़ा में बिल्कुल खुल के सामने आता है। पस पाक है वह ज़ात जिसकी अ़ज़मत और बड़ाई के सामने गर्दन झुक जाते हैं।

बेशक जो शख़्स एक नाहिया (प्रांत) से मिना और अ़रफ़ा में हाजीयों की हालत के दरमियान और दुसरे नाहिया से मुज़दलिफ़ा में उनकी हालत के दरमियान मुक़ारना (तुलना) करेगा, वह इन दोनों के दरमियान एक बारीक फ़र्क़ मुलाहज़ा करेगा (सूक्ष्म अंतर पायेगा)।

और वह यह कि मिना और अ़रफ़ा में हाजीयों के तबक़े (वर्ग) मालदारी और मुहताजी में वाज़ेह तौर पर फ़र्क़ ज़ाहिर होता है, उनके

ख़ीमों में, उनके खाने पीने में और उनकी सवारीयों में।

चुनांचि आप मिना और अ़रफ़ा में ग़रीब और मुहताज को रोडों और सड़कों पर चटाई बिछा कर अवस्थान करते (ठहरते) देखेंगे। बर ख़िलाफ़ इसके धनी और मालदार को देखेंगे कि वह अपने ख़ीमों में, अपने मज़हर (ज़ाहिरी शक्ल) में और अपने सामान तथा रूपये पैसे में लोगों का तवज्जुह खींच ले (दृष्टि आकर्षण कर) रहे हैं।

यहाँ तक कि बसा औक़ात हुज्जाजे किराम ऐसे मौक़िफ़ में ख़ालिक़ की बेनियाज़ी से ग़ाफ़िल होकर मख़लूक़ की ज़ाहिरी मालदारी की फ़िक्र में मसरूफ़ हो जाते हैं, ख़ालिक़ की अ़ज़मत को छोड़ कर मख़लूक़ को बड़ा समझने लगता है, यहाँ तक कि क़रीब है कि बाज़ ग़ाफ़िल दिल उस वक़्त भूल जायें कि अ़ज़ीम कौन है!!!

मुज़दलिफ़ा के अहकाम मशरूअ़ किये जाने का सबब -अल्लाह बेहतर जानता है- यह है कि हाजीयों के बीच मालदारी और अ़ज़मत व बड़ाई के फ़वारेक़ (भेदाभेद) ख़त्म हो जायें, ताकि वहाँ सिवाय अल्लाह तआ़ला की अ़ज़मत व बेनियाज़ी के किसी की अ़ज़मत व बेनियाज़ी का कोई शोशा बाक़ी न रह जाये। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]

''ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मुहताज हो, और अल्लाह बेनियाज़ ख़ूबीयों वाला है।'' {सूरतु फ़ातिरः 15}

अगर आप मुज़दलिफ़ा के अहकाम पर ग़ौर करें तो पायेंगे कि वे हाजीयों के दरमियान और उनकी ज़ाहिरी मालदारी और सामयिक अ़ज़मत व बड़ाई के दरमियान तहव्वुल के तरीक़ा पर मशरूअ़ (हालात में तब्दीली के तौर पर विधिसम्मत) किये गये हैं।

पस मुज़दलिफ़ा में सिर्फ़ रात में ठहरना (मबीत करना) होता है, इस लिए वह ख़ीमों -जिन से उनके दरमियान बज़ाहिर तफ़ावुत (विभेद) नज़र आये- की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। और वहाँ ज़ीनत के कपड़ों और जोड़ों से आ़री होकर (यानी इहराम की हालत में) ठहरने की मुद्दत चंद घंटे ही होते हैं, इस लिए उन्हें एक दूसरे पर मालदारी और बड़ाई ज़ाहिर करने वाले बेगों और असबाब पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। और यही सबब है कि वे सब के सब मुज़दलिफ़ा में नंगी ज़मीन पर (और खुले आसमान के नीचे) फ़क़ीरों की नींद सोते हैं, और बसा औक़ात फ़क़ीरों का खाना भी खाते हैं।

बल्कि कभी कभी आप देखेंगे कि वे टॉइलेट (बैतुल ख़ला) के सामने लम्बी लाइन लगा कर खड़े हैं, फ़क़ीर अमीर के साथ और काला गोरे के साथ, फ़क़ीर और कमज़ोर के भेष में, अमीरी की ठाटबाट से दूर, ताकि मुज़दलिफ़ा में इन मन्ज़रों (दृश्यों) को देख कर तमाम लोग जान लें कि सिवाय अल्लाह तआ़ला के मुतलक़ अ़ज़मत वाला कोई अ़ज़ीम नहीं है!!!

❁ ❁ ❁

तीसरा मक़सदः अल्लाह तआ़ला के लिए 'रजा' को साबित करना (यानी सिर्फ़ उसी से आशा और उम्मीद रखना)

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ﴾ [الإسراء: ٥٧]

"जिन्हें यह लोग पुकारते हैं ख़ुद वह अपने रब के तक़र्रुब की तलाश में रहते हैं कि उन में से कौन ज़्यादा क़रीब है अल्लाह के, वह ख़ुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अ़ज़ाब से डरते हैं। बात भी यही है कि तेरे रब का अ़ज़ाब डरने की चीज़ ही है।" {सूरतुल इसराः 57}

हज्ज के आमाल मशरूअ़ किये जाने का तरीक़ा, मख़लूक़ में से उम्मीद करने वाले और उम्मीद किये जाने वाले के दरमियान, अमीरों और फ़क़ीरों के दरमियान, क़वी और ज़ईफ़ (सबल तथा दुर्बल) के दरमियान तथा आमेर और मामूर (आदिष्टी और आदिष्ट) के दरमियान इख़्तिलात और संमिश्रण या सकन में और ख़ुसूसन ख़ीमों में एक दूसरे से क़रीब होने तक पहूँचाता है। और यह ऐसा तरीक़ा है जो आ़म ज़िंदगी में बहुत कम हासिल (उपलब्ध) होता है। और यह तक़ारुब (पास पास होना) ज़्यादातर अ़रफ़ा और मुज़दलिफ़ा में वाज़ेह होता है।

लेकिन इन दो मशअ़रों (अ़रफ़ा और मुज़दलिफ़ा) में हाजीयों की हालत

पर ग़ौर करने वाला पायेगा कि वह लोग तमाम के तमाम मख़लूक़ की उम्मीद से किनारा कश होकर (हट कर) उस ज़ात से उम्मीद की तरफ़ मुतवज्जह (अग्रसर) होते हैं जिसके भंडार अफ़ुरंत (ला फ़ानी) हैं, जिसकी नेमतें गिन कर ख़त्म नहीं की जा सकतीं, और जिसे आसमान व ज़मीन में कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती।

और उनका हाल यह होता है कि वे आ़जिज़ी और इनकिसारी (विनय नम्रता) के साथ अपने हाथों को उठाये हुये होते हैं, अमीर और फ़क़ीर तथा तंदुरुस्त और बीमार सब लोग एक ही शक्ल और एक ही अवस्था में होते हैं, और सब के सब उसके सामने आ़जिज़ी व ख़ाकसारी और फ़क़ीरी व इनकिसारी का इज़हार करते हैं, ताकि सारे लोग जान मान लें कि सिवाय अल्लाह के कोई ऐसी ज़ात नहीं जिस से उम्मीद लगाई जाये।

यह है रब्बुल आ़लमीन के लिए तौहीदे रजा में इख़्लास (यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ सारे जहान के पालनहार से उम्मीद वाबस्ता रखने में इख़लास)।

❁ ❁ ❁

चौथा मक़सदः अल्लाह तआ़ला से ख़ौफ़ खाने (डरने) को साबित करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦١]

''और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वह अपने रब की तरफ़ लौटने वाले हैं, यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही हैं जो उनकी तरफ़ दौड़ जाने वाले हैं।'' {सूरतुल मुमिनूनः 60–61}

बेशक जो शख़्स क़ुरआन व हदीस में ग़ौर करेगा, वाक़ेअ़ (वर्तमान) को देखेगा और तारीख़ (इतिहास) को टटोलेगा, तो वह पायेगा कि हज्ज और ख़ौफ़ के बीच इतना गाढ़ा संबंध है जो लाज़िम मलज़ूम के हद तक पहुँच जाता है।

और यह संबंध किताब व सुन्नत और वाक़ेअ़ में ग़ौर करने से वाज़ेह तथा स्पष्ट होता हैः

किताब (क़ुरआने करीम):

ऐ मेरे प्यारे हाजी भाई! सूरह हज्ज की तिलावत करें फिर ग़ौर करें!!! पायेंगे कि सूरह की शुरूआ़त सख़्त ख़ौफ़ और भय की शक्ल में हुई है,

बल्कि ख़ौफ़ की सब से सख़्त शक्लों में से है जो बशरीयत (मानवता) पर गुज़रती हैं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَـٰرَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١-٢]

“ऐ लोगो! अपने प्रभु से डरो। निःसंदेह क़ियामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जायेगी, और हम्ल वालीयों के हम्ल (गर्भवतियों के गर्भ) गिर जायेंगे, और तू देखेगा कि लोग मतवाले दिखाई देंगे, हालाँकि वास्तव में वह मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख़्त है।” {सूरतुल हज्जः 1–2}

तो ऐ मेरे प्यारे! क्या हज्ज और ख़ौफ़ के दरमियान कोई तअ़ल्लुक़ और संबंध नहीं है?

2 फिर सुन्नते नबवीया यानी अहादीस शरीफ़ा में ग़ौर करें:

आप पायेंगे कि नबी ﷺ ने हज्ज को औ़रतों के लिए जिहाद का नाम दिया है। आप ﷺ ने फ़रमायाः

«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». [رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح].

“उन पर ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिस में जंग नहीं होती, वह हज्ज और उ़म्रा है।” {इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, और इसकी सनद सहीह है}

क्या जिहाद ख़ौफ़ का हम आग़ोश (साथी) नहीं हैं?!

फिर ग़ौर करें कि हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह ﷺ और सहाबये किराम ﷺ के सरज़मीने हरम तक पहुँचने की कोशिश के साथ ख़ौफ़ का कैसा रब्त और तअ़ल्लुक़ रहा है।

क़ुरैश ने मुसलमानों का सामना करते हुये उन्हें उ़म्रा करने से रोक दिया, और लोग जंग के लिए एकट्ठा हो गये, और मुमिनों ने दरख़्त के नीचे बाहम (परस्पर) लड़ाई पर बैअ़त (शपथ) कर ली। फिर अगले साल उ़म्रा करने पर सुलह (सन्धी) हुई। और मुसलमानों ने क़ुरैश की ग़द्दारी के ख़ौफ़ से शर्त लगाई कि इहराम के साथ तलवारें भी हूंगी। पस यह उ़म्रा भी था ख़ौफ़ के साथ।

हज्ज और ख़ौफ़ के दरमियान संबंध और तअ़ल्लुक़ पर वाक़ेअ़ (वर्तमान और विद्यमान) से दलीलः
जो शख़्स नबी ﷺ के ज़माना से लेकर आज तक हज्ज के विषय में ग़ौर करेगा, वह इस नतीजा को पहुँचेगा कि हज्ज कभी भी ख़ौफ़ से जुदा नहीं रहा है।

चुनांचि क़ुरैश का ख़ौफ़ ख़त्म होने के कुछ ही अ़र्सा (समय) बाद मक्का तक पहूँचाने वाले अकसर रास्ते में तेरह सदी तक डाकूओं ने अपना ऐसा सिक्का जमाये रखा, गोया कि मक्का जाने वाला मफ़्क़ूद (नाबूद) और वहाँ से वापस लौटने वाला मौलूद।

और जब लोग डाकूओं के मसअला के हल (समस्या के समाधान) के लिए एकट्ठा हुये और उन से यह ख़ौफ़ दूर हो गया, तो ख़ीमों में आग लगने का समस्या आन खड़ा हुआ, और यह मसअला भी काफ़ी सालों तक हज्ज का साथी बना रहा, और फिर लोगों ने इसके हल के लिए भी कोशिश की।

इसके बाद मुज़ाहरात (विक्षोभ) फिर ब्लास्टिंग का ख़ौफ़ शुरू हुआ, फिर जमरात में भगदड़ मचने के कारण बाज़ जानों के मरने और ज़ख़्मी होने का वाक़िआ पेश आया, फिर ज़बरदस्त बारिश की वजह से ख़ीमों के बह जाने का घटना सामने आया, फिर इंफ्लोइंज़ा की बीमारी के फैलने का ख़ौफ़ पैदा हुआ। ख़ुलासा यह कि लोगों ने आज तक ख़ौफ़ के एक दरवाज़े को बंद करने की कोशिश नहीं की मगर ख़ौफ़ का एक नया दरवाज़ा खुलता गया।

यहाँ तक कि आज भी हज्ज का इरादा करने वाला कोई ऐसा शख़्स नहीं मिलेगा जिसके दिल में नीयत करने से लेकर अपने घर को वापस होने तक ख़ौफ़ व दहशत न हो।

पस ऐ मेरे प्यारे! अगर वाक़िई (सचमुच) हज्ज और ख़ौफ़ के दरमियान गाढ़ा संबंध है, तो इस संबंध का मक़सद और भेद (हिक्मत) क्या है??

शायद इसका मक़सद -अल्लाह बेहतर जानता है- ज़ुबान से ख़ौफ़े इलाही जैसी इबादत के दावा को आज़ा व जवारिह (अंग प्रत्यंग) के ज़रीया अ़मल करके उसको हक़ीक़ी रूप देने की मंज़िलत (दर्जे) तक पहूँचाना है।

ऐ मेरे प्यारे! ऐसा कैसे?

अगर आप हाजीयों में से किसी हाजी से सवाल करें कि क्या आप ने हज्ज के दौरान गुज़श्ता सालों में हुये भयानक और जान लेवा हवादिस (दूर्घटनाओं) के बारे में नहीं सुना है?

क्या आप ने इस साल के हज्ज में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ख़ौफ़ के तवक़्क़ुआ़त (विभिन्न प्रकार के संभवनीय आशंकाओं) के बारे में नहीं सुना है? तो वह कहेगाः क्यों नहीं, ज़रूर सुना है।

अगर आप उस से दोबारा पूछें: तो फिर इन ख़ौफ़ व ख़तर के बावजूद भी आपको हज्ज में आने पर किस चीज़ ने उभारा और आमादा किया?

तो आपको जवाब मिलेगा कि इस्तिताअ़त (क़ुदरत व क्षमता) रखते हुये भी हज्ज अदा न करने वाले के हक़ में वारिद (पक्ष में आई हुई) अल्लाह तआ़ला की वईद और धमकी का ख़ौफ़ व डर इन तमाम ख़ौफ़ व ख़तर से बढ़ कर है।

यह यानी 'सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आ़लमीन ही से डरना' हज्ज के अ़ज़ीम मक़ासेद में से एक है।

❁ ❁ ❁

पाँचवाँ मक़सदः अल्लाह तआ़ला पर तवक्कुल (निर्भर और भरोसा) करना।

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ٨٤ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤-٨٥]

''और मूसा ﷺ ने फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। पस उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ऐ हमारे रब! हम को इन ज़ालिमों के वास्ते फ़ित्ना न बना।'' {सूरतु यूनुसः 84–85}

मेरे प्यारे मुस्लिम भाई!

जब आप अपने रिश्तादारों के दरमियान अपने मुल्क और अपने मामून (निरापद) घर में होते हैं, मुमकिन है कि आप गाड़ी (कार) और बैंक बैलेंस के भी मालिक हों जो आपको मुस्तक़बिल में सुकून और इतमीनान (निश्चिंत रहने) का यक़ीन दिलाये। तो कितनी आसानी से आप दावा कर सकते हैं कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला हूँ। लेकिन हक़ीक़त आशकारा नहीं होती हैः क्या आप हक़ीक़त में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं या इन अस्बाब व वसायेल पर?

मगर हज्ज वाज़ेह दलील पेश करता है कि हाजी साहब का तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह ही पर होता है।

पस ऐसा कैसे??

जब आप मिना के महल्ले वुक़ूअ़ (लोकेशन) पर ग़ौर करें तो पायेंगे कि वह एक वादी में वाक़े है। नीज़ हाजीयों के अवस्थान (हालात) पर ग़ौर करें कि वे इस वादी में रास्ते के बाजू में लगे ख़ीमों में ठेलमठेल और भीड़ भाड़ की हालत में क़ियाम और मबीत करते हैं (ठहरते और रात गुज़ारते हैं)।

फिर आप उन से पूछें: क्या इस हालत में मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ख़तरों के वाक़े होने की तवक़्क़ुअ़ (संभावना) नहीं है? उदाहरण स्वरूप (मिसाल के तौर पर):

अगर सख़्त क़िस्म का सैलाब आ जाये -अल्लाह न करे ऐसा हो- तो क्या इस बात का आशंका नहीं है कि यह ख़ीमे अपने रहने वालों समेत बह पड़ें।

अगर कड़कें गिरे और ओले बरसें तो क्या ख़ीमों की छतें इन से बचने के लिए काफ़ी हैं?

अगर संक्रामक रोग (छूतहा बीमारी) तेज़ी से फैले, तो क्या हालात को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इंतिज़ामात हैं?

और अगर तख़रीब पसंद लोग साज़िश (फ़साद मचाने वाले लोग षड़ यंत्र) करके हाजीयों को नुक़सान पहूँचाना चाहें, तो क्या आ़म हाजीयों के पास ऐसी चीज़ होती है जिस से वह अपने नफ़्सों की तरफ़ से दिफ़ाअ़ (प्रतिरोध) करने के लिए काफ़ी हों?

बल्कि जब आप हाजी साहब से उसके मुल्क से आने और वहाँ तक वापस होने के रास्ते के बारे में पूछें कि क्या इस में मुख़्तलिफ़ क़िस्म

के ख़तरों का इहतिमाल (संभावना) नहीं है? जैसे जहाज़ों का गिर जाना, स्टीमरों और कश्तीयों का डूब जाना और आये दिन होने वाले गाड़ीयों के हादिसे आदि।

निःसंदेह इन सारे सवालों का जवाब मिलेगाः हाँ! मज़कूरा तमाम ख़तरों और शंकाओं का संभावना है, बल्कि यह अ़क़ीदा रखते हैं कि बशरी इंतिज़ामात कुछ भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह तआ़ला इन ख़तरों को वाक़े करना चाहे।

और जब दूसरा सवाल करें कि तो फिर आपका तवक्कुल किस पर है? और आप किस पर भरोसा करते हैं?

सबका जवाब एक ही है कि हम सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं।

और शायद -अल्लाह बेहतर जानता है- यही चीज़ क़ौल व अ़मल के एतेबार से अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौहीद में सच्चाई की दलील है।

❁ ❁ ❁

छठा मक़सदः अल्लाह की तरफ़ इनाबत और रुजू करने (लौटने) को साबित करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

[الزمر: ٥٤]

''तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ़ झुक पड़ो और उसकी हुक्म बरदारी (आज्ञा पालन) किये जाओ इस से पहले कि तुम्हारे पास अ़ज़ाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न की जाये।'' {सूरतुज़्ज़ुमरः 54}

हज्ज फ़र्ज होने की शर्तों में से एक शर्त क़ुदरत और इस्तिता़अ़त (शक्ति तथा सामर्थ्य) है, जो यह बतलाती है कि हज्ज में आगत (आये हुये) अकसर लोग माली और बदनी एतेबार से क़वी हैं।

माली और बदनी वग़ैरा की इस्तिता़अ़त की सिफ़तें उन सिफ़तों में से हैं जो उनके हामिल (अधिकारी) की बेनियाज़ी और मालदारी की ओर ग़म्माज़ी (इशारा) करती हैं। इन सब के बावजूद आप हाजीयों को देखेंगे कि हज्ज के तमाम अमाकिन (स्थानों) में उ़मूमन और मैदाने अ़रफ़ा और मताफ़ (तवाफ़ स्थल) में और सफ़ा व मरवा के ऊपर ख़ुसूसन अपने गुनाहों का इक़रार करते हुये ज़लील और ख़ाइफ़ (हीन तथा भीत) के खड़े होने की तरह खड़े होते हैं, अपने क़ुसूर का एलान करते हैं, अपने अख़्तियार और क़ुव्वत व इरादा से सरज़द कोताहीयों पर पशीमान और

शर्मिंदा होते हैं, अपने रब से माफ़ी के तलबगार होते हैं और दुआ़ करते हैं कि ग़फ़लत, कोताही और नाफ़रमानी के सबब पहले जो गुनाह हो चुके हैं उन्हें दर गुज़र कर दे और उन पर पर्दा डाल दे।

और शायद यही अल्लाह तआ़ला की तरफ़ इनाबत और झुक पड़ने की हक़ीक़त है। अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है।

यहाँ यह सवाल उभरता है कि यह दिल किसकी तरफ़ इनाबत करते और झुकते हैं?

क्या इसका हुक्म सब से ज़्यादा क़वी और शक्तिशाली इंसान की तरफ़ से आया है, या उन में सब से बड़े मालदार की तरफ़ से वादा है यहाँ तक कि इस तरीक़ा से दिल नरम हो जायें और उनके ख़ौफ़ से तथा जो उनके हाथों में है उसके लालच में आँसू बह पड़ें। नहीं, ऐसा कभी नहीं। लेकिन! शायद ऐसा -अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है- रब्बुल आ़लमीन की तरफ़ इनाबत की तौहीद में इख़लास के सबब से है।

❁ ❁ ❁

सातवाँ मक़सदः अल्लाह तआ़ला के लिए इख़बात (तवाज़ो व इंकिसारी तथा विनय नम्रता) को साबित करना

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخۡبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾ [هود:٢٣]

''बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी नेक किये और रब की तरफ़ (आ़जिज़ी व ख़ाकसारी के साथ) झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह हमेशा ही रहने वाले हैं।'' {सूरतु हूदः 23}

इख़बात का अर्थः

अल्लाह तआ़ला की बंदगी, उसकी रुबूबीयत और उसकी अ़ज़मत का इक़रार, अपनी कमज़ोरी का एतिराफ़ और अपनी मुहताजगी की स्वीकृति देते हुये ऐसा तवाज़ो व इंकिसारी करना जो तसलीम के हद (आत्म समर्पण के दर्जे) तक पहुँच जाये।

क़ुरआने करीम में तीन मक़ामात पर 'इख़बात' का शब्द आया है:

एक तो सूरह हूद में है जिसका ज़िक्र विषय के शुरू में गुज़र चुका, और दो मरतबा सूरह हज्ज में आया है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤]

''समझ लो कि तुम सब का माबूदे बरहक़ (सत्य उपास्य) सिर्फ़ एक ही

है, तुम उसी के हुक्म के ताबे' और आधीन बन जाओ, और तवाज़ो व इंकिसारी करने वालों को ख़ुश ख़बरी सुना दीजिये।" {सूरतुल हज्जः 34}

और दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤۡمِنُواْ بِهِۦ فَتُخۡبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ [الحج: ٥٤]

"इस लिए भी कि जिन्हें इल्म अ़ता फ़रमाया गया है (ज्ञान प्रदान किया गया है) वह यक़ीन कर लें कि यह आपके रब ही की तरफ़ से सरासर हक़ (बिल्कुल सत्य) ही है, फिर वह उस पर ईमान लायें और उनके दिल उसकी तरफ़ (तवाज़ो व इंकिसारी के साथ) झुक जायें। यक़ीनन अल्लाह तआ़ला ईमानदारों की सीधे रास्ते की तरफ़ रहबरी (मार्ग दर्शन) करने वाला ही है।" {सूरतुल हज्जः 54}

मज़कूरा तीन मक़ामात में से बिलख़ुसूस (विशेषतः) दो क्यों सूरह हज्ज में हैं?

शायद -अल्लाह बेहतर जानता है- ऐसा इस लिए है कि हज्ज के शआ़इर में यानी उसकी अकसर इबादतों में बंदों का अपने रब तआ़ला के सामने ही तवाज़ो व इंकिसारी, आजिज़ी व ख़ाकसारी और मुकम्मल तौर पर तसलीम व सुपुर्दगी का इज़हार होता है।

अतः अगर आप -मिसाल के तौर पर- अकसर हाजीयों से हज्ज के शआ़इर यानी हज्ज के आमाल और इबादतों -जैसे अ़रफ़ा जाना, मुज़दलिफ़ा में रात गुज़ारना या जमरात को कंकरी मारना वग़ैरा, जो वह पूरे इहतिमाम और बड़ी बारीकी के साथ अदा करते हैं- की हिक्मत के बारे में सवाल करते हुये पूछेंः यह आमाल क्यों मशरूअ़

(शरीअ़त सम्मत) किये गये हैं? इनका मक़सद क्या है? आप इन्हें क्यों अदा करते हैं?

तो आपको जवाब मिलेगा कि बस अल्लाह तआ़ला के लिए तअ़ब्बुद यानी उसकी ग़ुलामी तथा बंदगी।

और यह अल्लाह तआ़ला के लिए तवाज़ो व इंकिसारी और उसके लिए तसलीम व सुपुर्दगी में शामिल है। और वह इस तरह से कि बंदा हुक्म की हिक्मत की तफ़्सील जाने बग़ैर शरहे सद्र (प्रशस्त चित्त) के साथ अ़मल में कोशाँ रहे और कहे कि अल्लाह के हुक्म की तामील और बस। और उसको इतना ही काफ़ी है कि यह अल्लाह तआ़ला के लिए तअ़ब्बुद (यानी उसके लिए ग़ुलामी और बंदगी) है जो उसको उसकी रिज़ामंदी और संतुष्टि तक पहुँचा देता है।

बर ख़िलाफ़ इसके (पक्षांतर) अगर उसको कोई सृष्टि (मख़लूक़) हुक्म देती तो बहुत मुमकिन था कि सवाल और चूँ चिरा करते हुये कहते कि ऐसा क्यों? या बेहतर तो यह है! या मैं मुतमइन नहीं हूँ!

पस पाक है वह ज़ात जिसके सामने दिल बग़ैर चूँ चिरा के झुक पड़े।

क्या ख़ूब था उ़मर बिन ख़त्ताब ﷺ का सर तसलीम ख़म करना, जब आप हजरे असवद को ख़िताब करके फ़रमा रहे थेः

«أَمَا والله! إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ». [صحيح البخاري، رقم الحديث: ١٦٠٥].

''अल्लाह की क़सम! बेशक मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नुक़सान पहूँचा सकता है और न नफ़ा दे सकता है। अगर मैं ने नबी ﷺ को तुझे बोसा देते हुये न देखा होता तो मैं तुझे (कभी) बोसा न देता।'' {सहीहुल बुख़ारी, हदीस नम्बरः 1605}

हाजीयों में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मुल्क में ग़रीब, मिसकीन और कमज़ोरों से अलग थलग ख़ुशहाली और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, बल्कि कभी कभार आ़म लोगों से भी हट कर बड़े बड़े महलों में आसाइश व नेमत और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करते हैं।

लेकिन जब वह हज्ज की पुकार पर लब्बैक कहते हुये मक्का आते हैं तो कमज़ोरों और मिसकीनों के साथ घुल मिल जाते हैं, और बसा औक़ात उन्ही जैसा खाना भी खाते हैं, और ख़ुसूसन (विशेषतः) मुज़दलिफ़ा में वह जैसे सोते हैं वैसे ही यह भी सोते हैं, नीज़ तवाफ़ व सई करने और कंकरी मारने की भीड़ में उनके साथ खड़े रहते हैं, इसी तरह फैली बदबू, धक्कम पेल और सख़्त भीड़ में सब्र का मुज़ाहरा करते हैं।

आप अपने दिल से पूछें: हज्ज में उन्हें इन चीज़ों के करने पर किस चीज़ ने उभारा, हालाँकि वह इन सारी चीज़ों की तफ़्सीली हिक्मत और विस्तारित भेद से ना वाक़िफ़ हैं?

और किस चीज़ ने उनको ऐश व इशरत की ज़िंदगी से यहाँ तक पहूँचाया कि वह ग़रीबों और मिसकीनों के साथ घुल मिल गये?

क्या किसी इंसान ने उनको इस पर मजबूर किया?

जवाब: कभी नहीं! लेकिन वह है: रब्बुल आ़लमीन के लिए तवाज़ो व इंकिसारी करना और आ़जिज़ी व ख़ाकसारी के साथ उसके सामने झुक जाना।

और शायद -अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है- यही है सारे जहान के पालनहार के लिए तवाज़ो व इंकिसारी की तौहीद में इख़लास।

❁ ❁ ❁

मक्का मुकर्रमा की ख़ुसूसीयतें (विशेषतायें)

अल्लाह तबारक व तआ़ला ने इब्राहीम ﷺ की ज़ुबानी फ़रमायाः

﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٖ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ﴾ [ابراهيم: ٣٧]

“ऐ हमारे परवरदिगार! मैं ने अपनी कुछ औलाद को इस बे खेती के जंगल (ग़ैर आबाद और बंजर वादी) में तेरे हुर्मत वाले (पवित्र) घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार! यह इस लिए कि वह नमाज़ क़ायम रखें, पस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ मायल कर दे, और उन्हें फलों की रोज़ीयाँ इनायत फ़रमा (प्रदान कर), ताकि यह शुक्र गुज़ारी (कृतज्ञता) करें।” {सूरतु इब्राहीमः 37}

मक्का मुकर्रमा की तारीख़ (इतिहास), उसकी फ़ज़ीलत में वारिद नुसूस (कुरआन और हदीस में आई हुई दलीलों) और उसकी भूमी में वाक़े होने वाले हवादिस तथा घटनाओं को टटोलने वाला इस नतीजा को पहूँचेगा कि अल्लाह तआ़ला ने इस शहर को चंद ऐसी ख़ुसूसीयतों से नवाज़ा है जो दीगर (अन्य) शहरों और मुल्कों के लिए नहीं हैं।

अल्लाह तआ़ला ने उसके लिए चंद फ़िक़ही अहकाम मुक़र्रर फ़रमाये जो उसके अ़लावा के लिए नहीं हैं, पस उसे ‘हरम’ का ऐसा मक़ाम अ़ता फ़रमाया कि उस में शिकार करना, उसके दरख़्तों को काटना और उसके हुदूद में गिरी पड़ी चीज़ों को उठाना वग़ैरा हराम हैं।

उसकी ख़ुसूसीयतों में से यह भी है कि अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम ﷺ की दुआ़ क़बूल फ़रमाते हुये लोगों के दिलों को उसकी तरफ़ मायल होने वाला बनाया और उसके मुद्द और सा‘ (नापने के पैमाने) में बरकत अ़ता फ़रमाई।

उसकी एक ख़ुसूसीयत यह भी है कि जो शख़्स उस में ज़ुल्म करने का सिर्फ़ इरादा करेगा, तो अल्लाह तआ़ला उसको केवल इस इरादा पर दर्दनाक अ़ज़ाब से दोचार करेगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]

‘‘जो भी ज़ुल्म के साथ वहाँ इलहाद (कज रवी यानी टेढ़ापन और कुफ़्र व शिर्क वग़ैरा) का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अ़ज़ाब चखायेंगे।’’ {सूरतुल हज्जः 25}

मज़कूरा ख़ुसूसीयतें मारूफ़ व मशहूर (विदित तथा प्रसिद्ध) हैं और इल्मी किताबों में मौजूद हैं।

लेकिन जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सब से प्रिय भूमी मक्का मुकर्रमा के विषय में ग़ौर करेगा, वह पायेगा कि अल्लाह तआ़ला ने उसे चंद निराली और अनोखी ख़ुसूसीयतों से नवाज़ा है, और वह यह हैंः

अल्लाह तआ़ला उस में बुनियादी नेमतों (मौलिक वैभवों) -जैसेः हिदायत, नफ़ा बख़्श इल्म, नेक अ़मल और हिक्मत व ज्ञान- से नवाज़ता है।

नीज़ उ़बूदीयत और बंदगी के ऊँचे मक़ाम -जैसेः ईमान, इहसान, शहादत, सिद्दीक़ीयत- पर फ़ायज़ करता है।

इसी तरह अल्लाह तआ़ला उस में मज़कूरा नेमतों और मक़ामों के तलबगारों की तलब और मांगों को क़बूल फ़रमाता है।

ऐसी बात नहीं कि अल्लाह तआ़ला यह नेमतें दुनिया के किसी और मुल्क तथा शहर में नहीं देता, बल्कि देता ज़रूर है। लेकिन बात यह है कि जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा मक्का में देता है उतनी जल्दी और उतना ज़्यादा किसी और मुल्क तथा शहर में नहीं देता है। अल्लाह बेहतर जानता है।

मिसाल के तौर पर (उदाहरण स्वरूप): यह हैं इब्राहीम ﷺ। अल्लाह तआ़ला ने उन्हें इस्लाम, ईमान, इहसान और नुबूअत व रिसालत के रुत्बे से नवाज़ा, मगर मक्का से बाहर। लेकिन जब 'ख़ुल्लत' (दोस्ती) के रुत्बा -जो कि रुत्बों में सब से बड़ा रुत्बा है- से नवाज़ना चाहा, तो उन्हें मक्का बुला लिया। और वहाँ बुला कर सख़्त तरीन आज़माइश में मुबतिला भी किया और बदला (नवाज़िश व करम) भी अ़ज़ीम तरीन अ़ता फ़रमाया यानी 'ख़ुल्लत' के रुत्बा से नवाज़ा।

और यह हैं हमारे नबी मुहम्मद ﷺ जिनका दिल मक्का मुकर्रमा ही में बड़ी आज़माइशों के बाद हर तरह की बुनियादी नेमतों से भर दिया जाता है, फिर वहीं आपको 'ख़ुल्लत' के मंसब पर फ़ायज़ किया जाता है। इसके बाद मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी जाती है। अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है।

इसी लिए शायद हज्ज के मक़ासेद में से है कि मुसलमानों को यहाँ (मक्का) बुलाया जाये जहाँ अल्लाह तआ़ला के करम व मेहरबानी की बारिश होती है और हर जगह से कहीं ज़्यादा उसकी बख़शिश व नवाज़िश होती है। चुनांचि उन्हें इन थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा इबादत करने पर मुकल्लफ़ किया जाता है, ताकि उन्हें यह नेमतें वग़ैरा उस मिक़दार से ज़्यादा दी जायें जो वह अपने मुल्क -जहाँ से आये हैं- में दिये जाते हैं।

हाजी साहब जब इस ख़ुसूसीयत पर ग़ौर करेंगे, तो अल्लाह तआ़ला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ़ करेंगे कि हमारे लिए अपनी अस्ली और फ़रई (प्रधान और अप्रधान) तमाम नेमतों को ज़्यादा कर दे और बंदेगी में हमारे मक़ाम को बुलंद कर दे।

मुमकिन है कि अल्लाह तआ़ला इस मुख़्तसर और शार्ट सफ़र में उनकी दुआ़यें क़बूल कर ले, या उनके इल्म, हिक्मत, तक़्वा और नेक अ़मल को दुगना कर दे, या उनके दर्जों को यूँ बुलंद कर दे कि आये थे मुसलमान बन कर और जा रहे हैं मुमिन बन कर, या आये थे मुमिन बन कर और वापसी हो रही है मुहसिन बन कर, या आये थे मुहसिन बन कर और लौट रहे हैं सिद्दीक़ बन कर।

अस्ली और बुनियादी नेमतों में अल्लाह तबारक व तआ़ला का निज़ाम यह है कि वह उन्हें अपने बंदों में से किसी बंदा को नहीं नवाज़ता है यहाँ तक कि उसको आज़माइश में मुबतिला कर दे। और यही वजह है कि इब्राहीम ﷺ पर इराक़ और शाम की तुलना (मुक़ाबिले) में मक्का मुकर्रमा में आज़माइश ज़्यादा तथा सख़्त हुई, और ऐसे ही मुहम्मद ﷺ पर मदीना की तुलना में मक्का में आज़माइश अधिक और कठिन हुई, ताकि दोनों 'ख़ुल्लत' के रुत्बे को पहुँच जायें। अल्लाह बेहतर जानता है।

इसी लिए मक्का में हाजीयों पर भी इबतिला और आज़माइश सख़्त कर दी जाती है, ताकि वह उस अ़ज़ीम बख़शिश और नवाज़िश (महान दान) को पा सकें जिनके वे आर्ज़ूमंद होते हैं, इस शर्त पर कि वे सब्र करें और अल्लाह तआ़ला से डरें।

इसी लिए अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

''दो दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं, यह परहेज़गार के लिए है, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ़ जमा किये जाओगे।'' {सूरतुल बक़राः 203}

यह बात मालूम है कि जो हाजी मिना में दो दिन (11 और 12 जुलहिज्जा को) रह कर चला जाये तो भी कोई हरज और गुनाह नहीं, क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से तख़फ़ीफ़ (छूट) है। अब क़ारी (पाठक) गुमान करेगा कि पीछे रहने वाले के बारे में कहा जायेः जो शख़्स पीछे रह जाये (यानी 13 जुलहिज्जा को कंकरी मार कर जाये) उसके लिए बड़ा अज्र व सवाब है।

लेकिन अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में पीछे रहने वाले के लिए एक ज़ायेद (अधिक) शर्त लगाई है, और वह हैः अल्लाह का तक़्वा और डर। और यह बात (यानी आयत में पीछे रहने वाले के लिए तक़्वा की शर्त) उस तफ़्सीर के मुताबिक़ है जिस में कहा गया है कि ﴿لِمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ यानी ''यह परहेज़गार के लिए है'' का तअ़ल्लुक़ सिर्फ़ पीछे रहने वाले के साथ है। क्योंकि उसके लिए इस में आज़माइश भी ज़्यादा है और बदला भी ज़्यादा है। अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है।

अतः जो 13 जुलहिज्जा को कंकरी मार कर जायेगा तो उसके लिए है उतनी अ़ज़ीम नवाज़िश जितनी है उसकी आज़माइश। अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है।

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

[آل عمران: ١٤٢]

''क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालाँकि अब तक अल्लाह ने यह मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं?'' {सूरतु आलि इमरानः 142}

❁ ❁ ❁

ख़ातिमा (उपसंहार)
फिर हज्ज के बाद क्या?

प्यारे हाजी भाई! हज्ज के अ़ज़ीम मक़ासेद और महान भेदों को ज़िक्र करने के बाद, अब मुनासिब मालूम होता है कि हम संजीदगी के साथ ग़ौर करें कि गुज़श्ता बयान से हमें क्या फ़ायदे मिले?

पस अल्लाह की मदद और उसकी तौफ़ीक़ चाहते हुये कह रहा हूँ:

मेरे प्यारे हाजी भाई! जिस ज़ात ने शिकार को सहाबा से और औ़रत को मर्द से क़रीब किया, उसी ने दुनिया में हर जगह हराम फोटो, हराम सुनने, हराम खाने पीने और हराम माल को बंदे से क़रीब किया। और सब का एक ही सबब और कारण है यानी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आज़माइश। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾ [المائدة: ٩٤]

"ऐ ईमान वालो! अल्लाह कुछ शिकार से तुम्हारा इमतिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे, ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि कौन शख़्स उस से बिन देखे डरता है, पस जो शख़्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके लिए दर्दनाक सज़ा है।" {सूरतुल माइदाः 94}

अतः ऐ मेरे प्यारे! क्या हज्ज से वापसी के बाद भी बल्कि मरते दम तक महब्बत, ख़ौफ़ और अल्लाह की तरफ़ इनबात और रुजुअ् की तौहीद में आपका अपने नफ़्स के लिए मुजाहदा (यानी नफ़्स व शैतान के वसवसों और दीन के दुशमनों की कोशिशों के ख़िलाफ़ जिद्द व जहद) जारी व सारी रहेगा?

मेरे प्यारे हाजी भाई! हज्ज से पहले आप अपने मुल्क में क़ियाम के दौरान कहते थे कि आप अल्लाह से महब्बत करते हैं, उसी से डरते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। लेकिन यह सब कुछ आपके दावे ही थे, जिन पर आपकी सदाक़त व सच्चाई के लिए दलीलों की ज़रूरत थी। पस हज्ज आया, ताकि वह आपके ज़ुबानी दावे को आज़ा व जवारिह (अंग प्रत्यंग) से सच कर दिखाने के बाद आपकी सच्चाई पर दलील बने। अतः आपको मुबारक हो अगर अल्लाह तआ़ला ने आपके हज्ज को क़बूल फ़रमा लिया। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١]

“जिस दिन हर शख़्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आयेगा, और हर शख़्स को उसके किये हुये आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जायेगा, और लोगों पर जुल्म न किया जायेगा।” {सूरतुन्नहलः 111}

चुनांचि आप इन अ़ज़ीम मक़सदों और भेदों को साबित करने तथा हक़ीक़ी रूप देने के लिए अपने नफ़्स से लड़ाई झगड़ा करें, ताकि आपके आज़ा व जवारिह आपके लिए इसकी गवाही दें, लिहाज़ा अल्लाह तआ़ला से क़बूलीयत की बकसरत (अधिकाधिक) दुआ़ करें।

हे मेरे हाजी भाई! इस हज्ज के सबब हो सकता है कि आपके रब की मेहरबानी आपको उस रुत्बे और मक़ाम तक पहूँचा दे जहाँ तक शायद अपने मुल्क में हज़ारों साल रह कर भी न पहुँच पाते। लिहाज़ा इस पर आप अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ और उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रब के हम्द व शुक्र के सबब फ़रई नेमतों (अप्रधान वैभवों) -जैसे माल और औलाद- में बरकत होती है। और अगर फ़रई नेमतों में बरकत होती है तो बदर्जा औला अस्ली नेमतों -जैसे ईमान व इहसान- में बरकत होनी चाहिये (यानी प्रधान नेमतों में बरकतों का पाया जाना अधिकतर उपयोगी है)। बेशक अल्लाह तआ़ला करीम और वदूद (दानवीर तथा महब्बत करने वाला) है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा उसी की हम्द व सना बयान करें और उसी का शुक्र व कृतज्ञता बजा लायें।

हज्ज के बाद आपकी ज़िंदगी का मनहज (तौर तरीक़ा और चाल ढाल) यह होना चाहिये कि आप उस अ़ज़ीम रुत्बा और मक़ाम की हिफ़ाज़त और टिकाव की कोशिश करें जिसे अल्लाह ने आपको अ़ता फ़रमाया है। और ऐसा उसी वक़्त हो सकता है जब आप साबित क़दमी के वसायेल (अटलता के माध्यमों) को मज़बूती के साथ थामे रहेंगे, जैसेः नेक साथी अख़्तियार करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ़ करना, ग़फ़लत की जगहों तथा ग़ाफ़िलों को त्याग करना, और नेक अ़मल में मशग़ुल रहना यहाँ तक कि आप अपने रब से मिल जायें (आपको मौत आ जाये), इस हाल में कि वह आप से राज़ी हो जाये और आप उस से राज़ी रहें।

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨]

“ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर दे,

और हमें अपने पास से रहमत प्रदान कर, निश्चय तू परम दाता है।'' {सूरतु आलि इमरानः 8}

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.

सब तारीफ़ व स्तुति अल्लाह तआ़ला के लिए है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे नबी मुहम्मद पर, तथा उनके आल व औलाद और उनके तमाम सहाबीयों पर।

❁ ❁ ❁

IslamHouse.com

Hindi.IslamHouse @IslamHouseHi IslamHouseHi https://islamhouse.com/hi/

IslamHouseHi

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

Guidetolslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

हज्ज के भेद और उसके मक़ासेद

इस किताब में है: ♦ इतमामे हज्ज (हज्ज को पुरा करना) ♦ हज्ज के भेद और मक़ासेद में से: सिर्फ़ अल्लाह के लिए महब्बत, अ़ज़मत, उम्मीद, ख़ैफ़, तवक्कुल, इनाबत और ख़ाकसारी साबित करना है ♦ मक्का मुकर्रमा एक बे आब व गियाह वादी (बंजर और अनावाद भूमी) में क्यों वाक़े है?

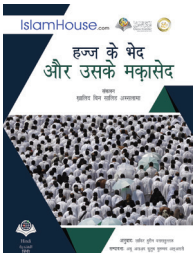

IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com